


न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल ग्वालियर कैंप भोपाल



PBR/निगरानी/होशंगाबाद/भू.र.नं./2017/4378

यदुवंशी सर्विस सोसायटी सिवनी मालवा

अध्यक्ष सख्खरसिंह मंडलोई आ. स्व. श्री कुंजीलाल मंडलोई

निवासी मेनरोड बानापूरा

तह. सिवनी मालवा जिला होशंगाबाद.....पुनरीक्षणकर्ता

बनाम

1. म.प्र. यदुवंशी समाज परिषद भोपाल

पंजीयन क्र.27038/95, मार्फत

अध्यक्ष महेशसिंह यदुवंशी आ.डा. बलदार सिंह

निवासी मकान न. 6 पश्चिम निशातपुरा

गौतम नगर भोपाल

2. श्रीराम यादव आ. श्री नाथूराम यादव

निवासी लालघाटी भोपाल

3. सुरेंद्रसिंह यादव आ. हरिसिंह यादव

निवासी भोपाल

4. मधुसूदनसिंह आ. श्रीकिशन यादव निवासी

18 जयप्रकाश नगर तवा कालोनी इटारसी

5. रामराजसिंह ठाकुर आ. श्री टीकाराम ठाकुर

निवासी कोठी बाजार होशंगाबाद.....उत्तरवादीगण

पुनरीक्षण याचिका अंतर्गत धारा 50 म. प्र. भू राजस्व संहिता

न्यायालय श्रीमान अपर आयुक्त महोदय नर्मदापुरम संभाण होशंगाबाद के राजस्व प्रकरण क्रमांक 5/अपील/2014-15 में पारित आदेश दिनांक 10/10/2017 से आंशिक रूप से विपरीत प्रभावित होकर निम्न तथ्यों व आधारों पर आंशिक रूप से आदेश को निरस्त कराने बावत् पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत है

(Handwritten signature)

130

XXXIX(a)-BR (H)-10

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

8

आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक PBM/टी.श.ग.ब.द/प्र.भा.अ/4378

प्रकरण क्रमांक

विरोध श्री. यदुवंशी लाल

तहसील

जिला

होशंगाबाद

आयुक्त के कार्यालय का प्रकरण क्रमांक

जिलाध्यक्ष के कार्यालय का प्रकरण क्रमांक

अनुविभागीय पदाधिकारी के कार्यालय का प्रकरण क्रमांक

तहसील का प्रकरण क्रमांक

वाद का विषय

अधिनियम एवं धारा जिसके अन्तर्गत प्रकरण यहां प्रस्तुत हुआ है

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभावकों आदि के हस्ताक्षर
<p>28/11/2017</p>	<p>आयुक्त संभाग / जिलाध्यक्ष, जिला</p> <p>के मूल / अपीलीय आदेश दिनांक. 10-10-17</p> <p>के विरुद्ध श्री. श्री. यादव</p> <p>के अभिभावक द्वारा अपील/पुनरीक्षण/ पुनरावलोकन-पत्र प्रस्तुत किया गया जो पंजीबद्ध किया जा चुका है।</p> <p>पुनरावलोकन अवधि बाह्य है/ नहीं है/ मुद्रांक शुल्क पूर्ण है/.....</p> <p>..... रु. की कमी है। आदेश, जिसके विरुद्ध यह अपील/पुनरीक्षण/ पुनरावलोकन है, की प्रतिलिपि संलग्न है/ नहीं है। अपील / पुनरीक्षण / पुनरावलोकन की प्रतियां दी गई हैं/ नहीं दी गई हैं। आव्हान शुल्क दे दिया है/ नहीं दिया है।</p> <p>आवेदक की ओर से प्रस्तुतकार श्री. यादव अभिभावक ने उपस्थित होकर प्रकरण वापिस लिये जाने का अनुरोध किया। अनुरोध स्वीकार किया जाता है। प्रकरण वापिस लिये जाने के कारण समाप्त किया जाता है।</p>	<p>N.P.</p> <p>28/11/17</p> <p>R.P. Yadav</p> <p>31/10/17</p> <p>28/11/17</p>

[Handwritten signature]

अध्यक्ष

[पीछे देखिये]